

न्यायालय-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (उत्तर रेलवे), गाजियाबाद।

वाद संख्या-2822/2023,
सरकार बनाम प्रदीप गुप्ता आदि,
मु०अ०सं०-132/2023,
धारा-380 भा०द०सं० 1860,
थाना-जी०आर०पी०, गाजियाबाद।

दिनांक-28.08.2024

पत्रावली जेल लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त **प्रदीप गुप्ता पुत्र दिलीप गुप्ता**, निवासी-मलक नगर, दुर्गा कालोनी, थाना-लैंक रोड, गाजियाबाद की तरफ से जुर्म स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियुक्त ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन किया है। अभियुक्त की उपरोक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **प्रदीप गुप्ता पुत्र दिलीप गुप्ता**, द्वारा स्वेच्छा से की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा-380 भा०द०सं० 1860, के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्धन व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त बहुत गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त के बुजुर्ग माता पिता हैं, जो आये दिन बीमार रहते हैं एवं जो प्रार्थी पर पूर्णतः आश्रित हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें को चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त दिनांक-25.05.2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपना जुर्म स्वीकार किया जा रहा है। अभियुक्त दिनांक-25.05.2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त की विशेष परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा-380, भा०द०सं० 1860, के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये 1 वर्ष 3 माह 5 दिन के साधारण कारावास की सजा से व अंकन 1000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त **प्रदीप गुप्ता पुत्र दिलीप गुप्ता**, की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा-380, भा०द०सं० 1860, के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये 1 वर्ष 3 माह 5 दिन के साधारण कारावास की सजा से व अंकन 1000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

दिनांक-28.08.2024

(शोभित राय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे), गाजियाबाद।
J.O. Code -UP 2498